न्यायालय : सहायक कलेक्टर, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 317 / 2021 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 01-01-2021 श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रमेश चन्द पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम्

1. रामसहाय पुत्र कन्हैया
2. शान्ति धर्म पत्नी स्व. लालाराम
3. राजाराम पुत्र कजोड
4. कल्याणी बेवा कजोड
5. ग्यारसा पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र उद्घोषणा, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 21/07/23

उपस्थित :– श्री प्रकाश चन्द शर्मा एडवोकेट – वादी की ओर से

श्री पंकज कुमार शर्मा एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से

प्रतिवादी संख्या 2 की एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम हजफ

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 51 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 67 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 72 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 74 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 77 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 92 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 95 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नं0 49 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं0 75 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बिस्वा वाकै ग्राम पट्टी

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। आराजी खसरा नं0 51 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 67 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 72 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 74 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 77 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 92 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 95 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट में कजोड़ का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा तथा रामसहाय का 1/2 हिस्सा था। कजोड़ की मृत्यु के पश्चात दिनांक 05-12-2002 को नामान्तकरण संख्या 105 द्वारा कजोड के 1/2 हिस्से के स्थान पर शान्ति धर्म पत्नी स्व. लालाराम व राजाराम, रमेश पि0 कजोड व कल्याणी धर्म पत्नी स्व. कजोड का 1/2 हिस्सा का जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 में अंकन कर दिया गया। स्व. लालाराम मीना की मृत्यु अपने पिता कजोड मीना के जीवनकाल में हो गई थी। स्व. लालाराम ने उक्त आराजी वादग्रस्त मे कभी भी काश्त नही की एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी शान्ति देवी बपुई ग्राम तहसील बौंली मे रही। इस वादग्रस्त भूमि में शान्ति देवी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। जबकि इस वादग्रस्त भूमि से इसका लेना देना कोई संबंध सरोकार वास्ता ही नही रहा। क्योकि शान्ति देवी ने अपने ससुर मृतक कजोड के हित में अपने विरासत के अधिकारो का परित्याग कर बपुई एवं पट्टी चिमनपुरा के ग्रामवासियो एंव भाई बन्धुओ के समक्ष कर दिया था। उक्त वादग्रस्त जमीन को कजोड की मृत्यु के पश्चात एंव पूर्व से ही स्व. लालाराम के हिस्से की भूमि को एवं स्वयं के हिस्से की भूमि को रमेश पुत्र कजोड काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। एवं लगान सरकारी भी अदा करता आ रहा है। आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 49 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं0 75 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बिस्वा वाकै ग्राम चिमनपुरा की खातेदारी पूर्व में कजोड, रामसहाय पि0 कन्हैया जाति मीना, हिस्सा 1/2 एवं ग्यारसा पुत्र रामचन्द्र जाति मीना हिस्सा 1/2 दर्ज था। उक्त पैरा नं0 5 में वर्णित आराजी मे कजोड की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 105 दिनांक 05-12-2002 के द्वारा कजोड के 1/4 हिस्से के स्थान पर शान्ति धर्म पत्नी स्व. लालाराम एवं राजाराम, रमेश पुत्र कजोड व कल्याणी धर्म पत्नी कजोड के नाम खातेदारी का अंकन जमाबंन्दी सम्वत 2056 से 2059 मे हो गया। लालाराम मीना की मृत्यु अपने पिता कजोड के जीवनकाल में हो ही गई थी। स्व. लालाराम ने उक्त आराजी मे कभी भी काश्त नही की । तथा उसकी मृत्यु के पश्चात एवं पूर्व

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

उसकी पत्नी शान्ति देवी ने उक्त आराजी मे कभी भी काश्त नही की उसकी पत्नी शान्ति देवी शुरू से ही ग्राम बपूई तहसील बौंली मे रही एवं अपने ससुर मृतक कजोड के हित मे समस्त विरासत अधिकारो का परित्याग बपूई एवं पट्टी चिमनपुरा के पंच एवं भाई बन्धुओ के समक्ष कर दिया। आराजी वादग्रस्त से शान्ति देवी धर्म पत्नी लालाराम का कोई संबंध सरोकार हिस्सा वास्ता नही है तथा उक्त दर्ज शुदा हिस्से पर भी रमेश ही काश्त करता आ रहा है। इसलिए रमेश उक्त शान्ति देवी के दर्ज शुदा हिस्सा के स्थान पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। एवं इसी अनुसार ही अपनी भूमि का विभाजन भी करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीनी संख्या 2 को कानूनन जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वह आराजी वादग्रस्त मे अपने नाम अंकित भूमि को रहन, बय करने या अन्य दिगर व्यक्ति को हस्तानान्तरण करने से एवं वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने से सदैव प्रतिबंधित रहें। शांन्ति देवी ने दिनांक 07–03–2003 को धमकी दी कि मै इस जमीन मे से मेरे हिस्से दर्ज जमीन का विक्रय करूंगी। इसलिए यह वाद हैतुक पैदा होकर वाद न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिम हुआ है।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री पंकज कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादी सख्या 2 बावजुद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र नाम हजफ पेश किया जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम हजफ किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 कल्याणी पत्नी कजोड की मृत्यु हो जाने पर कल्याणी के वारिसान पूर्व से वाद पत्र प्रतिवादी के तौर पर दर्ज है तथा पत्रावली मे संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत कर पत्रावली मे वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 में बतौर साक्ष्य पी.डब्लू–1 रमेश चन्द के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये तथा वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वर्तमान जमाबन्दी रिकार्ड पर लेने बाबत पेश किया जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज.)

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नं0 51 के वर्तमान खसरां नं0 115 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 116 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 88 रकबा 1.4500 हैक्टेयर, खसरा नं0 67 के वर्तमान खसरा नं0 107 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नं0 72 के वर्तमान खसरा नं0 112 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नं0 74 के वर्तमान खसरा नं0 114 रकबा 0.6100 हैक्टैयर, खसरा नं0 77 के वर्तमान खसरा नं0 120 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नं0 92 के वर्तमान खसरा नं0 138 रकबा 0.9200 हैक्टेयर, खसरा नं0 95 के वर्तमान खसरा नं0 141 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नं0 142 रकबा 1.5800 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 49 के वर्तमान खसरा नं0 86 रकबा 0.0800 हैक्टेयर तथा खसरा नं0 75 के वर्तमान खसरा नं0 117 रकबा 0.0900 हैक्टेयर वाकै गाम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट मे प्रतिवादी संख्या 2 शान्ति का हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित है तथा तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर वादी द्वारा फसल काश्त की जा रही है इसलिए वादी को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेशित फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं आराजी खसरा नं0 51 के वर्तमान खसरां न0 115 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 116 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 88 रकबा 1.4500 हैक्टेयर, खसरा नं0 67 के वर्तमान खसरा नं0 107 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नं0 72 के वर्तमान खसरा नं0 112 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नं0 74 के वर्तमान खसरा नं0 114 रकबा 0.6100 हैक्टैयर, खसरा नं0 77 के वर्तमान खसरा नं0 120 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नं0 92 के वर्तमान खसरा नं0 138 रकबा 0.9200 हैक्टेयर, खसरा नं0 95 के वर्तमान खसरा नं0 141 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नं0 142 रकबा 1.5800 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 49 के वर्तमान खसरा नं0 86 रकबा 0.0800 हैक्टेयर तथा खसरा नं0 75 के वर्तमान खसरा नं0 117 रकबा 0.0900 हैक्टेयर वाकै ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट तहसील लालसोट वाली भूमि वादी की कृषि भूमि है में इकबालिया जवाब दावे के अनुसार वादी का आराजी वादग्रस्त का वादी का काफी लम्बे समय से कब्जा भी है एवं उक्त आराजी मे कभी भी काश्त नही की उसकी पत्नी शान्ति देवी शुरू से ही ग्राम

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

बपूई तहसील बौंली मे रही एवं अपने ससुर मृतक कजोड के हित मे समस्त विरासत अधिकारो का परित्याग बपूई एवं पट्टी चिमनपुरा के पंच एवं भाई बन्धुओ के समक्ष कर दिया। इस सभी तथ्यो को देखते हुए वादी का वाद वादी के पक्ष में बखुबी साबित होता है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण पत्रावली से प्रकट नही है इसलिए वादी को प्रतिवादी संख्या 2 शान्ति धर्म पत्नी स्व. लालाराम कौम मीना हाल निवासी ग्राम बपूई तहसील बौंली निवासी पट्टी चिमनपुरा के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का काश्तकार उद्घोषित कर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 51 के वर्तमान खसरां नं0 115 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 116 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 88 रकबा 1.4500 हैक्टेयर, खसरा नं0 67 के वर्तमान खसरा नं0 107 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नं0 72 के वर्तमान खसरा नं0 112 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नं0 74 के वर्तमान खसरा नं0 114 रकबा 0.6100 हैक्टैयर, खसरा नं0 77 के वर्तमान खसरा नं0 120 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नं0 92 के वर्तमान खसरा नं0 138 रकबा 0.9200 हैक्टेयर, खसरा नं0 95 के वर्तमान खसरा नं0 141 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नं0 142 रकबा 1.5800 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 49 के वर्तमान खसरा नं0 86 रकबा 0.0800 हैक्टेयर तथा खसरा नं0 75 के वर्तमान खसरा नं0 117 रकबा 0.0900 हैक्टेयर वाकै ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट तहसील लालसोट के राजस्व अभिलेख में अंकित शान्ति धर्म पत्नी स्व. लालाराम मीना के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शान्ति धर्म पत्नी स्व. लालाराम मीना का नाम विलोपित किया जाकर रमेश चन्द पुत्र कजोड का नाम खातेदार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-07-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर लालसोट

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)